

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/प्रशि०निजी-35/2024 श्रं०सं०...../श्री अशोक कुमार राम,
उप प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा (अतिरिक्त प्रभार- प्राचार्य, महिला
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा) को बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता
से विमुक्ति नियमावली, 2018 के प्रावधानों के आलोक में उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की
तिथि 12.07.2025 से विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

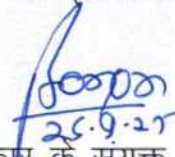
ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-01/प्रशि०निजी-35/2024 श्रं०सं०.....69...../पटना-01, दिनांक-26/9/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को
(सी०डी० सहित) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री, श्रम
संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/प्राचार्य, महिला
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा/श्री अशोक कुमार राम, उप प्राचार्य, महिला औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा (अतिरिक्त प्रभार- प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
शेखपुरा) तथा आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


26.9.25
सरकार के संयुक्त सचिव